VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(21 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- सांसदों एवं विधायकों को रिश्वतखोरी के मामले में छूट वाले आदेश पर फिर से विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
- संविधान में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों का क्या अर्थ है, और वे प्रस्तावना का हिस्सा कैसे बने?
- भारत द्वारा 'कनाडा में बिगड़ते हालात' को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए शख्त 'ट्रवेल एडवाइजरी' जारी की

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सांसदों एवं विधायकों को रिश्वतखोरी के मामले में छूट वाले आदेश पर फिर से विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट:

संदर्भ:

- सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों के संविधान पीठ ने सदन में वोट के बदले नोट के मामले शामिल सांसदों/विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करेगा।

- उल्लेखनीय है कि पांच जजों के संविधान पीठ ने 1998 में पी वी नरसिम्हा राव मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि *"संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को इस तरह की छूट दी गई है"*।
- मामले को सात जजों के संविधान पीठ को भेजा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने पूर्व फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय क्यों लिया?

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि *"यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा? 1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है। इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा"*।
- इस संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए CJI ने कहा कि *"संविधान के 105(2) और 194(2) का उद्देश्य प्रथम दृष्टया विधायिका के सदस्यों को परिणामों के डर के बिना सदन के पटल पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए या सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु किया गया है।* "इसका उद्देश्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने से प्रतिरक्षा प्रदान करना नहीं लगता है, जो संसद के सदस्य के रूप में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है"।
- उल्लेखनीय है कि *"ऐसे मामले में, छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब दिया गया भाषण या दिया गया वोट विधायिका के प्रति उनके दायित्व को जन्म देने वाली*

कार्यवाही के लिए कार्रवाई के कारण का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। जबकि अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देता है"।

क्या है वर्तमान मामला?

- ये मामला सीता सोरेन बनाम भारत संघ है। ये मामला जनप्रतिनिधि की रिश्वतखोरी से संबंधित है।
- ये मसला अनुच्छेद 194 के प्रावधान 2 से जुड़ा है जहां जनप्रतिनिधि को उनके सदन में डाले वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे में घसीटा नहीं जा सकता, उन्हें छूट दी गई है।
- इस मामले में याचिकाकर्ता सीता सोरेन झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं और राज्यसभा चुनाव में हुए वोट के लिए नोट लेने की आरोपी रही हैं।

संविधान के अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 194 के तहत जनप्रतिनिधियों को मिली थी छूट क्या है?

- संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में प्रावधान करता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इसके प्रावधान में कहा गया है कि संसद का कोई भी सदस्य, संसद के सदनों या उसकी किसी समिति में, उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- इसी तरह का प्रावधान अनुच्छेद 194 विधायकों को भी इसी तरह की छूट प्रदान करता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

संविधान में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों का क्या अर्थ है, और वे प्रस्तावना का हिस्सा कैसे बने?

संदर्भ:

- लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द गायब थे, जिसकी प्रतियां मंगलवार (19 सितंबर) को सांसदों को दी गईं थी।

- ये दो शब्द मूल रूप से प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

- विशेष रूप से भारत को एक "पंथनिरपेक्ष" देश के रूप में वर्णित करने पर पिछले चार दशकों में गहन बहस हुई है; आलोचकों दावा करते हैं कि ये "थोपे गए" शब्द "छद्म पंथनिरपेक्षता", "वोटबैंक की राजनीति" और "अल्पसंख्यक तुष्टिकरण" को मंजूरी देते हैं।

संविधान की प्रस्तावना क्या है?

- प्रत्येक संविधान का एक दर्शन होता है। भारत के संविधान में अन्तर्निहित दर्शन को उद्देश्य संकल्प में संक्षेपित किया गया था, जिसे 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
- संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प में निहित आदर्श को शब्दों में प्रस्तुत करती है। यह संविधान के परिचय के रूप में कार्य करता है, और इसमें इसके मूल सिद्धांत और लक्ष्य शामिल हैं।
- 1950 में शुरू हुई संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है:

  "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:

  सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;

प्रतिष्ठा और अवसर की समता;

प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिये;

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं"।

"समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द कैसे आये?

- इंदिरा गाँधी सरकार ने "गरीबी हटाओ" (गरीबी मिटाओ) जैसे नारों के साथ एक समाजवादी और गरीब-समर्थक छवि के आधार पर जनता के बीच अपनी स्वीकृति को मजबूत करने का प्रयास किया था। उनकी आपातकालीन सरकार ने यह शब्द प्रस्तावना में यह रेखांकित करने के लिए डाला कि समाजवाद भारतीय राज्य का एक लक्ष्य और दर्शन था।
- हालाँकि, इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत है कि भारतीय राज्य द्वारा परिकल्पित समाजवाद उस समय के यूएसएसआर या चीन का समाजवाद नहीं था - इसने भारत के सभी उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण की परिकल्पना नहीं की थी।

- इंदिरा गांधी ने स्वयं स्पष्ट किया था कि *"हमारे पास समाजवाद का अपना ब्रांड है", जिसके तहत "हम [केवल] उन क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करेंगे जहां हमें आवश्यकता महसूस होगी*"। उन्होंने रेखांकित किया कि "सिर्फ राष्ट्रीयकरण हमारे प्रकार का समाजवाद नहीं है"।
- 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने "समाजवाद" को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था *"आप समाजवाद को कम्युनिस्टों द्वारा परिभाषित संकीर्ण अर्थ में क्यों लेते हैं? व्यापक अर्थ में इसका अर्थ नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय है। यह लोकतंत्र का एक पहलू है"। "इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। अलग-अलग समय में इसके अलग-अलग अर्थ मिलते हैं।"*

"पंथनिरपेक्ष" शब्द के बारे में क्या?

- भारत के लोग अनेक आस्थाओं को मानते हैं, और उनकी एकता और भाईचारा, धार्मिक मान्यताओं में अंतर के बावजूद, प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्षता" के आदर्श को स्थापित करके हासिल करने की कोशिश की गई थी।
- संक्षेप में, इसका मतलब यह है कि राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है, सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखता है, और किसी एक धर्म को "राज्य धर्म" के रूप में कायम नहीं रखता है।

- एक पंथनिरपेक्ष भारतीय राज्य की स्थापना इस विचार पर की गई थी कि इसका संबंध इंसान और इंसान के बीच के रिश्ते से है, न कि इंसान और भगवान के बीच, जो कि व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत विवेक का मामला है।
- इसलिए, भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता धार्मिक भावना का सवाल नहीं है, बल्कि कानून का सवाल है।
- भारतीय राज्य की पंथनिरपेक्ष प्रकृति संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा सुरक्षित है।

क्या 42वें संशोधन से पहले ही 'पंथनिरपेक्षता' संविधान का अभिन्न अंग नहीं थी?

- आंतरिक रूप में यह हमेशा संविधान के दर्शन का एक हिस्सा था। भारतीय गणराज्य के संस्थापकों ने संविधान में पंथनिरपेक्षता के दर्शन को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के स्पष्ट इरादे से अनुच्छेद 25, 26 और 27 को अपनाया।
- 42वें संशोधन ने केवल औपचारिक रूप से इस शब्द को संविधान में शामिल किया और यह स्पष्ट किया कि गणतंत्र के संस्थापक दस्तावेज़ के विभिन्न प्रावधानों और समग्र दर्शन में पहले से ही निहित था।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत द्वारा 'कनाडा में बिगड़ते हालात' को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए शख्त "ट्रवेल एडवाइजरी" जारी की:

चर्चा में क्यों है?

- दोनों देशों के बीच राजनयिक गतिरोध को और बढ़ाते हुए, दिल्ली ने 20 सितम्बर को कनाडा में भारतीय नागरिकों को कड़े शब्दों में एक "यात्रा सलाह" जारी की, जिसमें "भारत विरोधी गतिविधियों" और "राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों" के खिलाफ चेतावनी दी गई।

- बुधवार को अपनी सलाह में, विदेश मंत्रालय ने कहा: "कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से क्षमा किए जाने वाले घृणा अपराधों

और आपराधिक हिंसा को देखते हुए, वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा पर विचार कर रहे लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है"

- विदेश मंत्रालय की ओर से यह घोषणा मीडिया रिपोर्टों के कुछ घंटों बाद आई जिसमें कहा गया था कि कनाडा ने विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लिए एक यात्रा सलाह जारी की है।
- यह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा "भारत सरकार के एजेंटों" और इस साल की शुरुआत में कनाडा में खालिस्तान अलगाववादी, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच "संभावित संबंध" का आरोप लगाने के एक दिन बाद आया है।
- जैसे ही कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया, भारत ने मंगलवार को जवाबी कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया।

इस 'ट्रवेल एडवाइजरी' का कूटनीतिक प्रभाव क्या होगा?

- इसे "राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराध और आपराधिक हिंसा" कहकर दिल्ली ट्रूडो सरकार पर निशाना साध रही है।

- भारत ने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कनाडा पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है, जिसे ट्रूडो सरकार द्वारा कनाडाई-सिख समुदाय को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत को लगता है कि इससे खालिस्तान समर्थक समूहों को भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में तोड़फोड़ करने और वहां स्थित भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काने का साहस मिला है।
- सिख फॉर जस्टिस नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की चल रही ऑनलाइन गतिविधियों से भी द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने "इंडो हिंदू लीव कनाडा" कहकर एक अभियान शुरू किया है।

ऐसी 'ट्रवेल एडवाइजरी' का सामान्य परिणाम क्या होगा?

- इस तरह की यात्रा सलाह का सामान्य नतीजा यह होता है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आधिकारिक यात्राएं और यात्राएं नहीं होंगी।
- हालांकि, पर्यटन, व्यवसाय और छात्र वीजा पर निजी व्यक्तियों का दौरा जारी रह सकता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इस तरह की यात्रा सलाह का पालन करना और लागू करना कठिन है, क्योंकि दोनों देश परिवारों, अध्ययन और व्यवसाय के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों के माध्यम से निकटता से जुड़े हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कनाडा दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों में से एक है, जिसमें भारतीय मूल के 16 लाख लोग रहते हैं, जो 7 लाख एनआरआई सहित कुल कनाडाई आबादी का 3 प्रतिशत से अधिक है।